न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/342

1. बंशी देवी पत्नी तेजाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र तेजाराम
3. गुरूदयाल पुत्र तेजाराम
4. गिरवरसिंह पुत्र तेजाराम
5. सुरेश कुमार पुत्र तेजाराम, समस्त जाति गुर्जर, निवासी बड़वर, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सोमवीर सिंह पुत्र तोताराम
2. गीता देवी पत्नी तोताराम
3. कृपालसिंह पुत्र तोताराम
4. बसन्त पुत्र तोताराम
5. ठाकुरदत्त पुत्र तोताराम
6. जयपाल पुत्र तोताराम
7. श्रवण कुमार पुत्र तोताराम
8. चन्द्रसिंह पुत्र हरनारायण, समस्त जाति गुर्जर, निवासी बड़वर, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।
9. सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, जिला–झुन्झुनूं।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुंझुनूं निर्णय दिनांक 20.01.2025 जिसके तहत उन्होनें नामान्तकरण संख्या 1804 दिनांक 18.05.2015 ई0 को निरस्त किया गया व प्रकरण को रिमाण्ड किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री पवन पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री अशोक उपाध्याय, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 8 अनुपस्थित।
5. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक — 04.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 20.01.2025 के खिलाफ दिनांक 03.02.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 18.05.2015 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1804 ग्राम बड़बर दिनांक 18.05.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी। अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.01.2025 द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2015 नामान्तकरण संख्या 1804 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्त एवं धारा 75 आर.टी. एक्ट 1955 के प्रावधानों के आलोक में प्रकरण का गहन परीक्षण करें

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तथा उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत कार्यवाही सम्पादित करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 20.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट बंशी देवी पत्नी तेजाराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2025 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार बुहाना द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1804 दिनांक 18.05.2015 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्टस की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्टस के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि तहसीलदार जी बुहाना के तोताराम, चन्द्रसिंह व तेजाराम ने अन्तर्गत धारा 53 (2) राज० टी० एक्ट में आराजी खसरा नम्बर 409, 1241, 1242, 1237, 1238, 1267, 1077 हेतु आपसी रजामन्दी व समझौते से खातेदारी भूमि का विभाजन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये। जिस पर तहसीलदार जी बुहाना द्वारा दिनांक 18.05.2015 ई0 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पक्षकारान् की सहमति से बंटवारा की आज्ञा प्रसारित कर पक्षकारान् की सहमति से बंटवारा की आज्ञा प्रसारित कर दी व उसके आधार पर बंटवारे की डिक्री पारित कर दी गई। उक्त दिनांक 18.05.2015 ई0 के आदेश के तहत नामान्तकरण संख्या 1804 दिनांक 18.05.2015 ई० को स्वीकृत फरमा दिया गया जो आज्ञा तहसीलदार जी द्वारा प्रदान की गई की बाद जांच अधिनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए प्रकरण को तहसीलदार जी बुहाना को रिमाण्ड कर दिया गया कि जिसके विरूद्ध यह अपील करना आवश्यकीय हैं। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रार्थीयान की एक पक्षीय में आज्ञा प्रसारित कर दी यही नहीं तहसीलदार जी धोद ने बिना मियाद को कन्डोन करते हुए अपना आदेश प्रदान कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील जो 9 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई जो सरासर मियाद बाहर थी। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में सरासर गलत व वेग आधारों पर व तोताराम के केवल मात्र 1 पुत्र द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है अन्य वारिसों के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई बल्कि उन्हें रेस्पोडेन्ट 1 ने कन्टस्टेड रेस्पोडेन्ट बनाया है इससे स्पष्ट है कि वे विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमत थे कि जिससे भी अपील सरासर विवाद बाहर थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने नॉन स्पिकिंग आदेश से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करने में सरासर गम्भीर कानूनी भूल की हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील नामान्तकरण संख्या 1804 दिनांक 18/5/2015 ई० न्यायालय तहसीलदार जी बुहाना के आदेश के विरूद्ध 22/5/2024 ई० को प्रस्तुत कर धारा 5 मियाद अधिनियम में कहना रहा कि वह भारतीय सेना में सेवारत है व दिनांक 12.03.2024 को वह छुट्टियों में आया तब आवेदक नम्बर 9 व आवेदक 11 द्वारा उनके पिता द्वारा फर्जी तरीके से विभाजन में आई जमीन में ज्यादातर पुख्ता निर्माण कार्य करने, मकान बनाने, विक्रय करने, खुर्द बुर्द करने इत्यादी की धमकी देने पर जानकारी की बात कही उक्त विभाजन आवेदक के पिता की बिना सहमति व हस्ताक्षरों से कराया गया है व जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद की बात कही है। रेस्पोडेन्ट के उक्त कथन सरासर गलत आधारहीन कपोल कल्पित व वेग है व गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उक्त प्रार्थना पत्र निम्न कारणों से गलत है व अपील मियाद बाहर है। तहसीलदार जी बुहाना के समक्ष जो आवेदन प्रस्तुत किया है जो 3 आवेदन है जिनमें स्वयं आवेदक रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पिता की अंगूठा निशानी हैं। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व उसके भ्रातागण के मध्य खसरा नम्बर 409 रकबा 55 है0 में से आवेदक रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व उसके भ्रातागण के हक में 23 है० भूमि बंटवारें में मिली व उसका बंटवारे का आदेश दिनांक 16.05.2018 को हुआ जिस पर स्वयं सोमवीर के हस्ताक्षर मौजूद है। एवं सोमवीर को खसरा नम्बर 409/2/5 रकबा 06 है० मिली व 409/2/6 में 1/3 भाग प्राप्त किया। यह कि स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 07.09.16 ई० को अपने भ्राता कृपाल व तोताराम को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया कि जिसका नामान्तकरण संख्या 1948 स्वीकृत हो गया। उक्तानुसार प्रस्तुत्त अपील में विभाजन की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही रही है। यह सही है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कि भारतीय सेना में पदस्थापित है एवं अपीलान्ट संख्या 2, 5 भी भारतीय सेना में पदस्थापित हैं अपीलान्ट संख्या 4 भारतीय सेना से सेवानिवृत हैं। भारतीय सेना में हर कर्मचारी को वर्ष में करीब 90 दिन का अवकाश 3 बार में प्राप्त करने का अधिकारी है व आदेश होने के पश्चात् 9 वर्ष तक वह फोज से गांव में न आया हो गलत साबित हो जाता है। उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय को भ्रमित किया है व वास्तविक तथ्यों को छुपाकर आदेश प्राप्त किया हैं। स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलान्ट के मध्य आपस में रास्ते की भूमि को लेकर झगड़ा हुआ जिस पर पुलिस थाना अधिकारी जी बुहाना में दिनांक 04.08.2022 ई0 को समझौता हुआ उस समय भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम में मौजूद था। चन्द्रसिंह व तेजाराम के मध्य कुछ भूमि का गलत अंकन हुआ के सम्बन्ध में दोनों ने मिलकर आवेदन पत्र तहसीलदार जी बुहाना को दिया जिस पर दिनांक 5.7.2016 को तहसीलदार जी बुहाना ने खसरा नम्बर 1267/1 व 1267/3 हेतु अपना आदेश प्रदान किया। दिनांक 28.6.2024 ई0 को तहसीलदार जी बुहाना की आज्ञा के तहत पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 409, 1077 व 1267 रकबा 3.41 है0 में पक्के निर्माण दुकानात, चारदीवारी आदि मानी गई जो आपसी सहमति से हुए विभाजन के अनुसार मानी हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार जी बुहाना के समक्ष भूमि के संम्परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर बाद जांच तहसीलदार जी ने दिनांक 29.01.2021 ई0 को अपना आदेश प्रसारित किया व संपरिवर्तन आराजी खसरा नम्बर 1539/409 रकबा 0.05 है० खसरा नम्बर 1077 रकबा 18 है0 में 2000 वर्गमीटर का किया गया व उसका उप पंजीयक बुहाना के पंजीकृत हो गया ऐसी स्थिति में श्रीमान् जी के समक्ष अपील पोषणीय नहीं थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई गौर न कर निर्णय देने में सरासर कानूनी भूल की हैं। अपीलान्ट के हिस्से में आई भूमि पर अपीलान्ट्स ने पुख्ता मकानात, बाडे दुकानात का निर्माण कर रखा है। ट्यूबवैल बना हुआ है। जो मौके पर भी स्पष्ट है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न तो संपरिवर्तन आदेश को किसी भी सक्षम अदालत में चुनौती नहीं दी है ऐसी स्थिति में भी निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार जी द्वारा धारा 53 (2) के तहत किये गये सहमति के बंटवारे की आज्ञा को कहीं भी चुनौती नहीं दी है एवं उसके तहत स्वीकृत नामान्तकरण को चुनौती नही दे सकता है ऐसी स्थिति में भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सरसरे रूप में ही निरस्तनीय हैं। निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमों के प्रतीकूल होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनु दिनांक 20.01.2025 ई० मय खर्चा खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान कर नामान्तकरण संख्या 1804 दिनांक 18.5.2015 ई0 कायम रखे जाने की आज्ञा प्रदान करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 18.05.2015 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1804 ग्राम बडवर दिनांक 18.05.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी। जिनके द्वारा यह कथन किया गया था कि ग्राम बडवर में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत के पिता तोताराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 चन्द्र सिंह व मृतक तेजाराम के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 12 की संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 409, 1077, 1067 कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 हैक्टर अवस्थित है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा व खाता विभाजन नही हुआ है। चन्द्र सिंह व तेजाराम ने अपीलान्ट के पिता तोताराम व उसके वारिसान को मुगालते में रखकर राजस्व अभियान कैम्प बड़वर दिनांक 18.05.2015 को एक साजसी समझौता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 13 तहसीलदार बुहाना ने उसी रोज विधि विरूद्ध खाता विभाजन कर नामान्तकरण संख्या 1804 दिनांक 18.05.2015 तस्दीक कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चन्द्र सिंह व तेजाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट के पिता तोताराम के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नहीं करवाये गये। तोताराम अनपढ व्यक्ति था। तोताराम को विभाजन के संबंध में कोई जानकारी नही दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए विधि विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1804 दिनांक 18.05.2015

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन से पूर्व हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट नही मंगवाई। विवादित भूमि में कुल रकबा 3.41 हैक्टर भूमि में अपीलान्ट के पिता तोताराम व उसके भाईयों चन्द्र सिंह व तेजाराम का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा था जिसके तीनों खसरों में से एक में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1994 में एक सड़क बुहाना से सूरजगढ बनाई गई जिसमें विवादित भूमि में से करीबन 18400 फुट जमीन सड़क में चली गई। विभाजन में सड़क में गई भूमि तीनों सह खातेदारों के हिस्से से बराबर काटी जाकर शेष रही भूमि तीनों खातेदारों के मध्य विभाजित करनी थी जो कि अकेले अपीलान्ट के पिता तोताराम के हिस्से से काटी गई है। उक्त भूमि में सड़क होने के तथ्य को पटवारी हल्का से साज कर चन्द्र सिंह व तेजाराम द्वारा छिपाया गया। वर्तमान में अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट्स की तरफ से उक्त विवादित नामान्तकरण से हिस्से में आई भूमि पर पुख्ता निर्माण करने, भूमि का बेचान करने आदि की धमकी देने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 1804 दिनांक 18.05.2015 की जानकारी मिलने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिविरूद्ध पारित नामान्तकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में अपीलान्ट का मुख्य उज्ज यह है कि सामलाती कृषि भुमि में प्रत्येक सह खातेदार का बराबर का हक हिस्सा होता है। अतः विभाजन प्रस्ताव पर सभी खातेदारों के हस्ताक्षर आवश्यक है तथा सामलाती भूमि में से निकल रहे रास्ते / सड़क की भूमि सम्पूर्ण भूमि में से कम कर शेष भूमि सह खातेदारों में बराबर–बराबर विभाजित की जानी चाहिये। अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.01.2025 द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2015 नामान्तकरण संख्या 1804 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्त एवं धारा 75 आर.टी. एक्ट 1955 के प्रावधानों के आलोक में प्रकरण का गहन परीक्षण करें तथा उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत कार्यवाही सम्पादित करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 20.01.2025 को यथावत रखा जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के समक्ष स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1804 दिनांक 18.05.2015 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.01.2025 द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2015 नामान्तकरण संख्या 1804 को निरस्त किया गया है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि निर्णय में वर्णित न्यायिक दृष्टान्त एवं धारा 75 आर.टी. एक्ट 1955 के प्रावधानों के आलोक में प्रकरण का गहन परीक्षण कर तथा उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत कार्यवाही सम्पादित करें। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। न्यायालय तहसीलदार बुहाना के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत आपसी रजामन्दी व समझौते से खातेदारी भूमि का विभाजन कराने, विभाजन आदेश दिनांक 18.05.2015 से भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रार्थना में तोताराम के हस्ताक्षर/अंगूठी निशानी नहीं है। रेस्पोडेन्ट को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार बुहाना द्वारा धारा 53 (2) के तहत किये गये सहमति के बंटवारा के आदेश दिनांक 18.05.2015 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2025 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.01.2025 को यथावत रखा जाता है। रेस्पोडेन्ट को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार बुहाना द्वारा धारा 53 (2) के तहत किये गये सहमति के बंटवारा के आदेश दिनांक 18.05.2015 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

(दीप्ति कलवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर